न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –28/2013

दायर दिनांक – 14.06.2013

निर्णय दिनांक – 27.10.2021

जीसीएमएस नं0 – 2013/00030

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री निरंजन लाल निवासी सावित्री मोहल्ला बड़ी बस्ती पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1. श्री नौरतमल जैन, अधि0, प्रार्थीगण

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी के वर्तमान खाता संख्या 117 के खसरा नम्बरान 166, 334, 333/1455, 332/1456, 331/1319, 330, 799, 800, 801, 968, 885, 970, 1038, 1056, 894, 1086 में 3/225 हिस्सा ... 2/25 हिस्सा प्रार्थी के नाम एवं 1/25 हिस्सा हजारी पुत्र लाखा जाति ... दुरुस्त कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:43:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पुष्कर 27.10.21

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया।

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/1946 दिनांक 23.09.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " प्रार्थना–पत्र की बिन्दू संख्या 01 में वर्णित ग्राम कानस की वर्किंग जमाबंदी से वर्तमान में बने खसरा नम्बर का मिलान क्षेत्रफल निम्नानुसार है–

हाल		साबिक	
खसरा नम्बर	रकबा(हैक्ट.)	खसरा नम्बर	रकबा(हैक्ट.)
166	0.25	78	0.25
334	0.06	294 295	0.03 0.03
799	0.01	1013मि.	0.01
800	0.05	1013मि.	0.05
801	0.06	1012 1014	0.04 0.02
885	0.17	1103	0.17
894	0.18	1128	0.18
868	0.10	1048	0.10
970	0.04	1048मि.	0.04
1038	0.11	1125मि.	0.11
1056	0.10	1125मि.	0.10
1086	0.05	1187	0.05
330/1318	0.03	301	0.03
331/1319	0.03	300	0.03
333/1455	0.03	298	0.03
332/1456	0.03	299	0.03

ग्राम कानस का सबिक राजस्व रिकार्ड वर्किंग जमाबन्दी संवत 2041 के खाता संख्या 123 में प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं. 1 में उल्लेखित साबिक खसरा नम्बरान किता 15 रकबा 08 बीघा पर नामान्तकरण सं. 100 दिनांक 06.08.1994 के द्वारा रामसिंह, खेमसिंह, रतनसिंह पिता बालू श्रवण सिंह, छोगा, बन्ना, [illegible] पिता कालू व बिरदा सिंह, प्रताप सिंह, रणसी सिंह, छोटू सिंह, [illegible] के स्थान पर श्रीमती थोपी पत्नी छीतर सिंह रावत सा. देह नेडलिया [illegible] हिस्सों का उल्लेख नहीं है। नामान्तकरण सं. 07 दिनांक 29.12.1995 द्वारा [illegible] पत्नी छीतर सिंह कौम रावत सा. नेडलिया के स्थान पर संजय कुमार अग्रवाल पुत्र निरंजनलाल अग्रवाल सा. बड़ी बस्ती पुष्कर के नाम पर दर्ज हुआ। इस नामान्तकरण में भी विक्रेता द्वारा अपने कितने हिस्से का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:43:05 IST
Reason: SelfAttested

23.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

विक्रय किया गया है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। इस जमाबन्दी के कॉलम सं. 4 में दर्ज खातेदारान के हिस्सों को योग करने पर खाता का कुल एक हिस्सा नहीं बनता है। इस प्रकार इस खाते में दर्ज खातेदारान के हिस्से में तफावत है। वादीगण द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 अन्तर्गत हिस्सा दुरूस्ती लिपिकीय त्रुटी कारित होना बताते हुए अनुतोष चाहा गया है। जबकि वादीगण द्वारा वांछित अनुतोष बिन्दु सं. 2 के अनुसार विधि संगत नहीं है। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2072–2075 (वर्ष 2018) से स्थायी (सेग्रीगेशन) के खाता सं. 57, 156, 157, 158, 159, 160, व 161 में वादी संजय कुमार पुत्र निरंजनलाल हिस्सा 3/25 जाति अग्रवाल सा. बड़ी बस्ती पुष्कर सहखातेदार के रूप में दर्ज है। उक्त हिस्से में सहखातेदारों का हिस्सा कितना–कितना है, यह स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी साबिक रिकार्ड इन्द्राज अनुसार अपने हिस्से में दुरूस्ती चाहता है जो बिन्दु सं. 02 व 03 अनुसार अनुशंषनीय नहीं है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राजस्व ग्राम कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2072–2075 (वर्ष 2018) से स्थायी (सेग्रीगेशन) के खाता सं. 57, 156, 157, 158, 159, 160, व 161 में वादी संजय कुमार पुत्र निरंजनलाल हिस्सा 3/25 जाति अग्रवाल सा. बड़ी बस्ती पुष्कर सहखातेदार के रूप में दर्ज है। उक्त हिस्से में सहखातेदारों का हिस्सा कितना–कितना है, यह स्पष्ट नहीं है। तथा नामान्तकरण सं. 07 दिनांक 29.12.1995 द्वारा थोपी पत्नी छीतर सिंह कौम रावत सा. नेडलिया के स्थान पर संजय कुमार अग्रवाल पुत्र निरंजनलाल अग्रवाल सा. बड़ी बस्ती पुष्कर के नाम पर दर्ज हुआ। इस नामान्तकरण में भी विक्रेता द्वारा अपने कितने हिस्से का विक्रय किया गया है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। प्रार्थी साबिक रिकार्ड इन्द्राज अनुसार अपने हिस्से में दुरूस्ती चाहता है जो कि विधिसंगत नहीं है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को अस्वीकार/खारिज किया जाता है। राजस्व ग्राम कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2072–2075 (वर्ष 2018) से स्थायी (सेग्रीगेशन) के खाता सं. 57, 156, 157, 158, 159, 160, व 161 में वादी संजय कुमार पुत्र निरंजनलाल हिस्सा 3/25 जाति अग्रवाल सा. बड़ी बस्ती पुष्कर सहखातेदार के रूप में दर्ज है। उक्त हिस्से में सहखातेदारों का हिस्सा कितना–कितना है, यह स्पष्ट नहीं है तथा नामान्तकरण सं. 07 दिनांक 29.12.1995 द्वारा थोपी पत्नी छीतर सिंह कौम रावत सा. नेडलिया के स्थान पर संजय कुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:43:05 IST
Reason: SelfAttested

23.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

अग्रवाल पुत्र निरंजनलाल अग्रवाल सा. बड़ी बस्ती पुष्कर के नाम पर दर्ज हुआ। इस नामान्तकरण में भी विक्रेता द्वारा अपने कितने हिस्से का विक्रय किया गया है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। प्रार्थी साबिक रिकार्ड इन्द्राज अनुसार अपने हिस्से में दुरूस्ती चाहता है जो कि विधिसंगत नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना संभव नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

27.10.21
सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:43:05 IST
Reason: SelfAttested